रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258661 CG-DL-E-14112024-258661

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

No. 155]

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024

का.नि.आ. 155(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि पचमढ़ी छावनी जिसके सदस्यों की कार्यावधि 29 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रही है, उक्त छावनी के प्रशासन हेतु उसके गठन में परिवर्तन अपेक्षित है, 30 नवंबर, 2024 से एक वर्ष या उस समय तक जब तक कि बोर्ड का गठन उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन नहीं कर लिया जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पचमढ़ी छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार की घोषणा करती है |

[फा. सं. 14(47)/2023-रक्षा(क्यू एंड सी)] राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

7353 GI/2024 (1)

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2024

S.R.O. 155(E)— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, on being satisfied that for the administration of the Pachmarhi Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Pachmarhi Cantonment Board where the term of the members shall expire on the 29th November, 2024, hereby makes a declaration to vary the constitution of the Pachmarhi Cantonment Board with effect from 30th November, 2024, for a period of one year, or till such time the said Board is constituted under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 14(47)/2023-D(Q&C)] RAKESH MITTAL, Jt. Secy.